भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4010

उत्तर देने की तारीख - 18/08/2025

सोमवार, 27 श्रावण, 1947 (शक)

बिहार में बीपीएल जनसंख्या के उत्थान के लिए योजनाएं

†4010. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाली जनसंख्या के उत्थान के उद्देश्य से कोई विशिष्ट योजनाएँ शुरू की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जिलेवार कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के माध्यम से बीपीएल श्रेणी के जिलेवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, जिनमें बिहार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवार भी शामिल हैं, को कौशलीकरण, पुनः-कौशलीकरण और कौशलोन्नायन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मांग-संचालित स्कीम है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों, नवसाक्षरों और आठवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा बारहवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें " दिव्यांगजन " और

अन्य योग्य व्यक्तियों को उचित छूट दी जाती है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह स्कीम देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। ये आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्व-रोज़गार प्रदान करना है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान बिहार राज्य में एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं ।
बिहार राज्य में एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्थापित/संलग्न प्रशिक्षण केंद्रों का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

'बिहार में बीपीएल जनसंख्या के उत्थान हेतु योजनाएँ' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4010 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान बिहार राज्य में एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का जिला-वार ब्यौरा

ज़िले	पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	सीटीएस*
अररिया	3,855	7,199	231	2,394
अरवल	1,205	9,146	61	7,766
औरंगाबाद	6,518	9,419	262	23,020
बांका	8,194	7,199	57	5,937
बेगूसराय	7,581	6,186	845	14,603
भागलपुर	9,715	-	449	19,433
भोजपुर	8,199	-	443	21,376
बक्सर	4,127	9,900	187	9,648
दरभंगा	5,886	-	360	8,378
गया	13,244	8,668	325	37,554
गोपालगंज	8,692	7,160	535	10,074
जमुई	7,089	7,192	77	10,418
जहानाबाद	4,130	-	36	11,977
कैमूर (भभुआ)	3,330	-	32	5,025
कटिहार	6,347	-	463	6,820
खगरिया	9,530	-	147	4,257
किशनगंज	2,534	9,899	443	1,271
लखीसराय	1,053	-	54	3,267
मधेपुरा	6,698	-	187	3,508
मधुबनी	12,040	7,200	241	9,464
मुंगेर	5,924	0	1,813	16,705
मुजफ्फरपुर	11,646	9,580	1,192	21,830
नालंदा	12,760	7,759	344	37,603
नवादा	6,889	7,174	156	15,010
पश्चिम चंपारण	7,028	7,193	426	11,896
पटना	21,716	8,300	10,595	78,506
पूर्वी चंपारण	11,083	9,900	360	13,718
पूर्णिया	7,971	-	836	5,164
रोहतास	8,316	-	395	30,864
सहरसा	6,014	-	82	3,154
समस्तीपुर	7,118	9,672	614	17,407
सारण (छपरा)	12,553	9,414	393	25,455
शेखपुरा	2,236	-	37	5,447
शिवहर	2,055	-	42	1,551
सीतामढ़ी	3,968	7,199	272	9,503
सिवान	10,163		273	11,879
सुपौल	2,169		221	4,517
वैशाली	10,111	9,460	589	21,584
कुल	2,79,687	1,74,819	24,075	5,47,983

** सत्र 2020 से 2024 तक नामांकन*

अनुबंध- II

बिहार राज्य में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का जिला-वार ब्यौरा

ज़िले	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसपीपी+एसपी)*	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठानों	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
अररिया	3	1	24	5
अरवल	4	1	10	20
औरंगाबाद	11	1	32	42
बांका	11	1	12	17
बेगूसराय	19	1	49	37
भागलपुर	23	-	49	40
भोजपुर	16	-	19	55
बक्सर	9	1	16	25
दरभंगा	11	-	47	23
गया	36	1	53	88
गोपालगंज	31	1	28	26
जमुई	7	1	15	25
जहानाबाद	7	-	9	34
कैमूर (भभुआ)	7	-	12	14
कटिहार	10	-	24	14
खगरिया	5	-	18	9
किशनगंज	4	1	20	5
लखीसराय	2	-	16	8
मधेपुरा	7	-	11	9
मधुबनी	10	1	30	26
मुंगेर	10	0	17	40
मुजफ्फरपुर	24	1	76	63
नालंदा	41	1	26	88
नवादा	10	1	19	34
पश्चिम चंपारण	11	1	31	25
पटना	46	1	315	231
पूर्वी चंपारण	15	1	34	24
पूर्णिया	12	-	36	16
रोहतास	9	-	27	69
सहरसा	7	-	13	7
समस्तीपुर	16	1	43	44
सारण(छपरा)	34	1	27	65
शेखपुरा	8	-	10	13
शिवहर	2	-	9	5
सीतामढ़ी	8	1	27	19
सिवान	23		29	36
सुपौल	3		19	7
वैशाली	25	1	56	61
कुल	**537**	**21**	**623**	**1,369**

**अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)*

*****